पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1108
दिनांक-14.5.2025

जोन- पूर्वी/ थाना- गोमतीनगर

- **थाना गोमतीनगर पुलिस द्वारा शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार ।**
- **कब्जे से 01 अदद चैन पीली धातु, 02 कान की बाली पीली धातु, 02 अदद कान की पिन पीली धातु, 04 अदद सफेद धातु के छोटे कड़े , 59600/- रुपये नकद एवं**
- **घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल (पल्सर) बरामद ।**
- **गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध जनपद लखनऊ के विभिन्न थानों में एक दर्जन से अधिक चोरी के मुकदमें पंजीकृत हैं।**

कार्यवाही का विवरण-

आज दिनांक 14.5.2025 को थाना पुलिस द्वारा रात्रिगश्त के दौरान संदिग्ध वाहन व व्यक्तियों की चेकिंग व वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु तलाश पतारसी सुरागरसी की जा रही थी कि मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 83/2025 धारा 305ए/331(4) बीएनएस से सम्बन्धित फरार चल रहे अभियुक्त हिमांशु उर्फ संजू बाबा उर्फ नाटा पुत्र चंदीराम निवासी-नया नटखेड़ा, टंकी के पास तेली बाग थाना पीजीआई,लखनऊ उम्र 20 वर्ष को **ग्वारी चौराहे से करीब एक किमी0 आगे सब्जी मण्डी की ओर जाने वाले रास्ते गोमतीनगर से** गिरफ्तार किया गया

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से मु0अ0स0 184/2025 धारा 305ए/331(4) बीएनएस व मु0अ0स0 130/2025 धारा 305/331(3) बीएनएस थाना पीजीआई जनपद लखनऊ व मु0अ0स0 83/25 धारा 305A/331(4)/317(2) बीएनएस थाना गोमतीनगर से सम्बन्धित माल- 01 अदद चैन पीली धातु, 02 कान की बाली पीली धातु, 02 अदद कान की पिन पीली धातु, 04 अदद सफेद धातु के छोटे कड़े ,01 अदद मोटरसाइकिल पल्सर लाल/काला रंग गाडी नं0 UP32PY6897 एवं 59600 रुपये नकद बरामद किये गये। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

मुकदमा उपरोक्त के अन्य अभियुक्त संतोष कश्यप को पूर्व में दिनांक 11.3.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है व एक नफर बाल अपचारी को संरक्षण पुलिस लिया गया था।

सक्षिप्त विवरणः-

थाना स्थानीय पर दिनांक 7.03.2025 के वादी श्री अंकित जैन निवासी 5/101 विकासखण्ड गोमतीनगर लखनऊ के प्रा0 पत्र बावत प्रतिवादिगण द्वारा रात्रि के समय वादी के कार्यालय 5/101 विकासखण्ड गोमतीनगर लखनऊ की बाउंड्री कूदकर कार्यालय ताला तोड़कर सात लाख रूपये को चोरी करने विषयक दाखिल किया गया।

प्रार्थना पत्र के आधार थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0– 083/2025 धारा- 305ए/331(4) बीएनएस बनाम– तीन अज्ञात व्यक्ति पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 श्री प्रेम कुमार को सुपुर्द की गयी थी ।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा थाना पीजीआई क्षेत्र के बृंदावन योजना के एक मकान मे 18 मार्च को चोरी की गयी थी एवं दिनांक 22 अप्रैल 2025 को रात्रि के समय रेवता पुल नीलमथा मे एक घर मे चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना पीजीआई पर क्रमशः मु0अ0स0 130/2025 धारा 305/331(3) बीएनएस व मु0अ0स0 184/2025 धारा 305ए/331(4) बीएनएस पंजीकृत हैं।

अपराध का उद्देश्य-

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्त हिमान्शु उर्फ संजू बाबा उर्फ नाटा ने बताया कि मैं और मेरे दो अन्य दोस्त तालबन्द घरों/कार्यालयों/दुकानों की रेकी करते हैं एवं मौका पाकर घरों में घुसकर चोरी करते हैं जिसमें सोने चांदी, नकद धनराशि व अन्य सामान चुराते हैं एवं ज्वैलरी व सामान बेंचकर जो भी पैसे मिलते हैं उनको आपस में बांट लेते हैं।

उपरोक्त अभियुक्त एक शातिर किस्म का चोर हैं जो आदतन चोरी की बडी बडी घटनाओं को अंजाम देता हैं। इसके विरुद्ध जनपद लखनऊ के विभिन्न थानों में एक दर्जन से अधिक चोरी के मुकदमें पंजीकृत हैं।

अनावरित अभियोग:-

1- मु0अ0स0 83/25 धारा 305ए/331(4)/317(2) बीएनएस थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ

2- मु0अ0स0 130/2025 धारा 305/331(3) बीएनएस थाना पीजीआई जनपद लखनऊ

3- मु0अ0स0 184/2025 धारा 305ए/331(4) बीएनएस पीजीआई जनपद लखनऊ

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1- हिमांशू उर्फ संजू बाबा उर्फ नाटा पुत्र चंदीराम निवासी-नया नटखेड़ा, टंकी के पास तेली बाग थाना पीजीआई, लखनऊ उम्र 20 बर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्त हिमांशू उर्फ संजू बाबा उर्फ नाटा उपरोक्त-

1- मु0अ0सं0 732/20 धारा 380/411/457 भादवि थाना पीजीआई जनपद लखनऊ

2- मु0अ0सं0 59/2022 धारा 380/411 भादवि थाना पीजीआई जनपद लखनऊ

3- मु0अ0सं0 67/2022 धारा 380/411 भादवि थाना पीजीआई जनपद लखनऊ

4-मु0अ0सं0 68/2022 धारा 380/411/457 भादवि थाना पीजीआई जनपद लखनऊ

5- मु0अ0सं0 140/2022 धारा 380/411 भादवि थाना पीजीआई जनपद लखनऊ

6- मु0अ0सं0 124/2023 धारा 380/411/457 भादवि थाना पीजीआई जनपद लखनऊ

7- मु0अ0सं0 230/2023 धारा 380/411/457 भादवि थाना पीजीआई जनपद लखनऊ

8- मु0अ0सं0 709/2023 धारा 380/411/457 भादवि थाना पीजीआई जनपद लखनऊ

9- मु0अ0सं0 728/2023 धारा 380/411/457 भादवि थाना पीजीआई जनपद लखनऊ

10- मु0अ0सं0 605/2024 धारा 305/317(2)/331(4) भादवि थाना पीजीआई जनपद लखनऊ

11-मु0अ0सं0 606/2024 धारा 305/317(2)/331(4) भादवि थाना पीजीआई जनपद लखनऊ

12- मु0अ0सं0 674/2024 धारा 305/317(2)/331(4) भादवि थाना मडियांव जनपद लखनऊ

13- मु0अ0स0 184/2025 धारा 305ए/331(4) बीएनएस थाना पीजीआई जनपद लखनऊ

14-मु0अ0स0 130/2025 धारा 305/331(3) बीएनएस थाना पीजीआई जनपद लखनऊ

15- मु0अ0स0 83/25 धारा 305ए/331(4) बीएनएस व बढौतरी धारा 317 (2)बीएनएस थाना गोमतीनगर लखनऊ

नोट- अभियुक्त उपरोक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी-

- 01 अदद चैन पीली धातु (मु0अ0सं0 83/2025 थाना गोमतीनगर से सम्बन्धित)
- 02 कान की बाली पीली धातु (मु0अ0सं0 83/2025 थाना गोमतीनगर से सम्बन्धित)
- 02 अदद कान की पिन पीली धातु (मु0अ0सं0 83/2025 थाना गोमतीनगर से सम्बन्धित)
- 04 अदद सफेद धातु के छोटे कड़े (मु0अ0सं0 83/2025 थाना गोमतीनगर से सम्बन्धित
- 59600 रुपये नकद (10000 रूपये मु0अ0सं0 130/25 थाना पीजीआई से सम्बन्धित, 49600 रुपये मु0अ0सं0 83/2025 से सम्बन्धित)
- 01 अदद मोटरसाइकिल पल्सर लाल/काला रंग, गाडी नं0 UP32PY6897- घटना में प्रयुक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना गोमतीनगर

1- श्री ब्रजेश चन्द्र तिवारी प्रभारी निरीक्षक
2- उ0नि0 श्री अमरनाथ चौरसिया
3- उ0नि0 श्री प्रेम कुमार
4-उ0नि0 श्री अरविंद कुमार
5-हे0कां0 बब्बन यादव
6-का0 अंकुर चौधरी

सर्विलांस/क्राइम टीम पूर्वी जोन

1. मुख्य आरक्षी संदीप पाण्डेय
2. मुख्य आरक्षी सुमित कुमार
3.आरक्षी तरनजीत सिंह
4. आरक्षी विमल चन्द्र
5.आरक्षी अजय यादव
6. आरक्षी प्रदीप कुमार
7.आरक्षी शिवानन्द खरवार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1111

दिनांक-14.05.2025

जोन- दक्षिणी/थाना-कृष्णानगर

- **थाना कृष्णानगर पुलिस टीम की सफलता।**
- **सूनसान इलाके में रैकी कर मो0सा0 चोरी करने वाला एक नफर बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया ।**
- **कब्जे से चोरी की 01 अदद इलैक्ट्रिक स्कूटी Warivo Okinawa चेचिस नं0-WM23EL10K5563 बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.05.2025 को वादी मुकदमा श्री सुशील कुमार यादव पुत्र रामकिशुन यादव निवासी अलीनगर सुनहरा थाना कृष्णानगर लखनऊ की तहरीरी सूचना पर मु0अ0सं0-0233/2025 धारा 303(2) भा0न्या0सं0 थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ बनाम-अज्ञात व्यक्ति बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा दिनांक 10.05.2025 को समय 11.20 बजे वादी की इलैक्ट्रिक स्कूटी Warivo Okinawa को घर के बाहर से चोरी कर लेने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया।

मुकदमा उपरोक्त में शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तगण गिरफ्तारी हेतु 02 टीमें गठित की गयी । जिनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज अवलोकन,सीडीआर अवलोकन, ग्राउण्ड सूचना की सहायता से घटना में संलिप्त 01 नफर बाल अपचारी को गंगाखेड़ा अण्डर पास के समीप गोकुल स्टेट के पास से आज दिनांक 14.05.2025 को पुलिस संरक्षण में लिया गया।

02-मॉड्यूस ऑपरेंडी-

भीड़ भाड़ व एकान्त में खड़े वाहनों की रैकी कर चोरी करना, चोरी की गयी सम्पत्ति को बेंचकर जीवन यापन करना।

03-बालअपचारी से पूछताछ का विवरण-

संरक्षण में लिये गये बाल अपचारी ने पूछताछ में बताया कि मैं और मेरा मित्र गुन्नू उर्फ मंयक पुत्र अज्ञात निवासी हरिओम नगर अलीनगर सुनहरा थाना कृष्णानगर लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष ने मिलकर दिनांक 10.05.2025 को अलीनगर सुनहरा से चोरी किया था।

04-पंजीकृत/अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0-233/2025 धारा 303(2)/317(2)बीएनएस थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ ।

05-संरक्षण में लिये गये बाल अपचारी का विवरण-

1. एक नफर बाल अपचारी उम्र 16 वर्ष ।

2. शिक्षा-05 वीं तक।

06-वाँछित/प्रकाश में आये अभियुक्त का विवरण-

1.गुन्नू उर्फ मंयक पुत्र अज्ञात निवासी हरिओम नगर अलीनगर सुनहरा थाना कृष्णानगर लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष

07-गिरफ्तारी स्थल एवं दिनांक-

- स्थान- गंगाखेड़ा अण्डर पास के समीप गोकुल स्टेट के पास से।
- दिनांक-14.05.2025।

08-बरामदगी–

- 01 अदद इलैक्ट्रिक स्कूटी Warivo Okinawa चेचिस नं0- WM23EL10K5563,

09-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

कोतवाली कृष्णानगर पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1109
दिनांक- 14.05.02025

जोन- उत्तरी / थाना मलिहाबाद लखनऊ

- **शान्ति भंग करने वाले 01 नफर अराजकतत्व को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 14.05.2025 को ग्राम ढेढेमऊ थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ में पति पत्नी के मध्य विवाद व झगडा हो रहा था। पुलिस द्वारा काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया जिसमें 1. मानप्रताप पुत्र संतू निवासी ग्राम ढेढेमऊ थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ उम्र करीब 32 वर्ष और उत्तेजित हो गया तथा अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने पर उतारू हो गया। शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से 1.मानप्रताप पुत्र संतू निवासी ग्राम ढेढेमऊ थाना मलिहाबाद जिला लखनऊ उम्र करीब 32 वर्ष को अंतर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस में आज दिनांक 14.05.2025 को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया मान प्रताप उपरोक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध कारित करने का तरिका/उद्देश्य

मान प्रताप द्वारा अपनी पत्नी के साथ विवाद कर झगडा करना तथा शान्ति व्यवस्था भंग करना।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1.मानप्रताप पुत्र संतू निवासी ग्राम ढेढेमऊ थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ उम्र करीब 32

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1.उ0नि0 श्री सैय्याद हुसैन खाँ

2.उ0नि0 श्री अनिल कुमार गौतम

3.का0 सुशील कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1107
दिनांक- 14.05.2025

जोन- दक्षिणी/थाना- नगराम

- **थाना नगराम, सर्विलांस सेल पुलिस उपायुक्त दक्षिणी की संयुक्त पुलिस टीम की सफलता।**
- **थाना नगराम के ग्राम कुबहरा में व्यक्ति की बेल्ट से गला कस कर की गयी थी हत्या।**
- **शराब के नशे में वाद- विवाद के बाद की थी हत्या।**
- **अभियोग में नामजद 06 निर्दोष व्यक्तियों को जेल जाने से बचाया गया।**

कार्यवाही:-

थाना नगराम, सर्विलांस सेल, पुलिस उपायुक्त दक्षिणी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा दिनांक 04.05.2025 को थाना नगराम के ग्राम कुबहरा के युवक की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्या कारित करने वाले 01 शातिर अभियुक्त **मन्शाराम पुत्र अवधराम उर्फ अवधेश उम्र करीब 27 वर्ष निवासी ग्राम कुबहरा थाना नगराम** लखनऊ को **उसके घर ग्राम कुबहरा से गिरफ्तार कर** अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही थी।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 05.05.2025 को वादिनी श्रीमती सुनीता पत्नी स्व0 महेश निवासी ग्राम कुबहरा थाना नगराम जनपद लखनऊ द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक- 04/05/2025 को समय शाम लगभग 08:30 बजे वादिनी के पति महेश बाहर मोहल्ले में टहलने गये थे परन्तु वापस नही आये।

सुबह मृतक का शव रामदीन के खेत में रामदीन के माता पिता व बडे भाई स्व0 सहज राम जो करीब 03 वर्ष पूर्व फांसी लगा लिए थे की कब्र के ऊपर खून से लथपथ मिला तथा मृतक के गले में बेल्ट कसी हुई थी।

वादिनी मुकदमा व उसका पति मृतक महेश करीब 03 वर्ष पूर्व स्व0 सहजराम की फांसी लगाकर आत्महत्या किये जाने के बाद सहजराम को आत्महत्या के लिए उकसाये जाने हेतु जेल भी जा चुके थे। जिस कारण मुकदमा वादिनी के द्वारा अपने पति की हत्या का आरोप गांव के रामदीन पुत्र स्व0 मेडई, लवकुश पुत्र स्व0 सहजराम, दीपू पुत्र रामदीन, विनीता पत्नी स्व0 सहजराम, रेशमा पुत्री सहजराम निवासी ग्राम कुबहरा थाना नगराम जनपद लखनऊ तथा लवकुश के मामा सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व शिवराम निवासी ग्राम कर्बला मजरा मीसा कोतवाली गोसाईगंज लखनऊ के ऊपर लगाया गया।

वादिनी की सूचना पर तत्काल थाना नगराम में मु0अ0सं0- 116/2025 धारा- 103(1)/191(2)/351(3) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया। **घटना के सफल अनावरण हेतु 03 टीमों का गठन किया गया जिसमें सर्विलांस सेल पुलिस उपायुक्त दक्षिणी को भी लगाया गया।**

इन टीमों द्वारा गांव व आस-पास के सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया तथा टैक्निकल साक्ष्यो के आधार पर 55 से अधिक लोगो से वैज्ञानिक तरीके से प्रश्नोत्तरी तैयार कर घटना के क्रम से कडीवार जोडते हुए आज दिनांक 14.05.2025 को प्रकाश में आए अभियुक्त मंशाराम पुत्र अवधराम उर्फ अवधेश कुमार निवासी ग्राम कुबहरा थाना नगराम जनपद लखनऊ को गिरफ्तार कर **अभियोग में नामजद 06 निर्दोष व्यक्तियों को जेल जाने से बचाया गया जिससे क्षेत्र की जनता में पुलिस पर भरोसा कायम हुआ।**

पूछताछ का विवरण-

मृतक महेश घटना के दिन काम पर नहीं गया था शाम लगभग 6 से 8.30 बजे तक शराब पिया था फिर दोबारा शराब लेने कुबहरा तिराहे स्थित ठेके पर गया था जहां आरोपी मंशाराम जो मजदूरी से वापस आते समय रास्ते में शराब पिया हुआ था वह भी दुबारा शराब लेने रात में कुबहरा तिराहे पर गया हुआ था।

मृतक महेश व आरोपी मंशाराम की मुलाकात शराब लेने के बाद तिराहे के पास ही हुयी फिर दोनो ने तिराहे से करीब 200 मीटर दूर खाली मैदान में पाकड के पेड के नीचे बैठकर शराब का सेवन किया गया। नशा होने पर मृतक महेश आरोपी मंशाराम में आपस में गाली गलौच व वाद- विवाद होने पर गुस्से व नशे में आरोपी मंशाराम द्वारा जोर से मृतक महेश को धक्का दिया गया जिससे मृतक महेश सिर के बल गिरा और उसके सिर में पीछे की तरफ चोट आ गयी।

उसके उपरान्त आरोपी **मंशाराम द्वारा अपनी बैल्ट से मृतक महेश के गले को कस दिया,** जिससे मृतक महेश की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। **चूंकि आरोपी मंशाराम को मृतक महेश व रामदीन के परिवार के पूर्व के विवाद की जानकारी थी।**

आरोपी पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से मृतक महेश का शव करीब 10 फिट दूर स्थित रामदीन के खेत में कोने पर बने कब्र पर लिटा कर भाग गया। इस दौरान आरोपी मंशाराम अपनी बेल्ट मृतक महेश के गले में ही छोड गया व अपनी एक चप्पल भी वहीं पर छोड गया जिसका दूसरा जोड़ा गिरफ्तारी के समय उसके घर से बरामद हुआ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण, व्यवसायः-

1. मन्शाराम पुत्र अवधराम उर्फ अवधेश उम्र करीब 27 वर्ष निवासी ग्राम कुबहरा थाना नगराम लखनऊ। व्यवसाय- मजदूरी।

आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0- 217/24 धारा 115(2),333,351(3),352 बी0एन0एस0 थाना नगराम जनपद लखनऊ
2. मु0अ0स0-116/2025 धारा-103(1)/191(2)/351(3) बी0एन0एस0 थाना नगराम लखनऊ

बरामदगी-

1. एक अदद बेल्ट (आलाकत्ल)
2. एक जोडी चप्पल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना नगराम, सर्विलांस सेल पुलिस उपायुक्त दक्षिणी की संयुक्त पुलिस टीम।

नोटः- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को 25,000/- रुपये के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1115

दिनांक-14.05.2025

जोन-दक्षिणी/ थाना- सरोजनीनगर

- **ड्यूटी के दौरान पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करके हाथापाई कर वर्दी फाड़ देने व झूठे मुकदमे मे फंसाकर संस्पेड कराने की धमकी देने वाला एक नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.05.2025 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री अंकित बालियान (बीट प्रभारी अमौसी) थाना सरोजनीनगर लखनऊ नें उपस्थित थाना हाजा आकर तहरीर दी कि अमौसी चौकी पर फरियादियों की जन सुनवायी कर रहा था कि पुलिस चौकी के पास तेज ध्वनि के साथ हूटर की आवाज सुनाई दी जिस पर मै समझा कि कोई एम्बुलेन्स गयी होगी और मै पुनः फरियादियों की सुनवायी करने लगे। कुछ ही समय बाद वही हूटर वाली गाडी एकाएक पुलिस चौकी के सामने खडी हो गयी और लगातार हूटर बजाना शुरू कर दिया। चौकी पर मौजूद फरियादियों ने कहा कि यह लगातार हूटर कौन बजा रहा है, तभी मै चौकी से बाहर निकल कर देखा तो कार टाटा सफारी यूपी 32 ईएल 8018 खडी थी उसी से हूटर की आवाज आ रही थी। कार के नजदीक पहुंच कर खिडकी खुलवाई तो कार में ड्राइवर सीट पर शिवम रावत निवासी अमौसी बाजार थाना सरोजनीनगर जनपद लखनऊ तथा ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर शोभित कश्यप पुत्र अरूण कश्यप निवासी गंगानगर अमौसी थाना सरोजनीनगर जनपद लखनऊ बैठा हुआ था।

हूटर बजाने से मना करते हुए हूटर के सम्बन्ध में प्रपत्र दिखाने के लिए कहा गया तो कार में बैठे दोनों लोग एकदम भडक गये और कहने लगे कि हम ऐसे ही हूटर बजायेंगे। इसी बीच शोभित कश्यप कार से नीचे उतर आया और कहने लगा कि अभी कुछ दिन पहले ही मैने दो दरोगाओं को चौकी से हटवाया है मुझसे टकराओगे तो तुमको भी सस्पेन्ड करा दूंगा। मेरे द्वारा समझाने का प्रयास किया तो गाली गलौज करते हुए भिड गया और मुझसे हाथापाई करने लगा एवं शोभित कश्यप ने अपने साथियों चार पांच लडके व ममता रावत तथा दो अन्य महिला नाम पता अज्ञात को बुलवा लिया व लोग भी आकर मुझसे गाली गलौज करते हुए तरह तरह की धमकियां देने लगे। मौके पर काफी भीड इकट्ठा हो गयी इसी बीच चौकी पर तैनात उ0नि0 बृहमकान्त व उ0नि0 सुरेन्द्र यादव व का0 अवनीश कुमार भी आ गये उनके द्वारा भी शोभित कश्यप को समझाने का काफी प्रयास किया परन्तु शोभित कश्यप व उसके उपरोक्त साथी पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे।

शोभित कश्यप कहने लगा कि मैं वकील हूं एवं मैं न्यायिक मानवाधिकार परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं चेयरमेन हूं, मैं पत्रकार भी हूं अभी पांच सौ वकील यहीं पर बुलाकर तुम्हारी चौकी फुकवा दूंगा और तुमको सस्पेंड करा दूंगा । बबाल कर रहे शोभित कश्यप को शांत कराने का प्रयास किया जा रहा था तभी शोभित कश्यप ने अपने साथियों को उकसा दिया जिस पर ममता रावत व शिवम कश्यप भी गाली गलौज व खींचातानी करने लगे और शोभित कश्यप कहने लगा कि मैं अपने ऊपर पेट्रोल छिडकर अपने आप को आग लगा लूंगा या किसी महिला से तुम्हारे खिलाफ छेडखानी व बलात्कार का झूठा मुकदमा लिखा कर तुमको तथा तुम्हारी पूरी चौकी को वर्खास्त

करा दूंगा। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सरोजनीनगर पर मु0अ0सं0 169/2025 धारा 191(2)/121(1)/132/308(7)/221/224/352 बीएनएस बनाम शोभित कश्यप आदि के विरुद्ध पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1. शोभित कश्यप पुत्र अरुण कश्यप निवासी गंगानगर अमौसी थाना सरोजनीनगर जनपद लखनऊ उम्र 28 वर्ष।

03- पंजीकृत अभियोग का विवरण –

1. मु0अ0सं0 169/2025 धारा 191(2)/121(1)/132/308(7)/221/224/352 बीएनएस थाना सरोजनीनगर लखनऊ।

04-अपराध का तरीका-

अभियुक्त शोभित कश्यप एक दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति है,जिनके द्वारा चार पहिया वाहनो में अवैध तरीके से हूटर लगाकर बजाकर क्षेत्र में आतंक व भय उत्पन्न करता है तथा लोगो के विरोध करने पर अपने साथियों के साथ मिलकर गाली गलौज व मारपीट आदि करता है।

05- अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 211/2022 धारा 427/452/504/506 भादवि0 थाना सरोजनीनगर लखनऊ।

06- बरामदगी का विवरण –

- 01 अदद चार पहिया वाहन टाटा सफारी (UP32EL8018)

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- थाना सरोजनीनगर पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1112

दिनांक 14.05.2025

जोन- दक्षिणी/थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- **शांति व्यवस्था भंग करने वाले 02 नफर अराजकतत्वों को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

प्राप्त सूचना के आधार पर उ0नि0 दीपक कुमार मय पुलिस टीम के देखभाल क्षेत्र चौकी सेक्टर जे में मामूर था कि डायल 112 द्वारा चौकी क्षेत्रान्तर्गत स्थित देशी शराब के ठेके के पास एक्सीडेन्ट की सूचना प्राप्त होने पर उ0नि0 मय पुलिस टीम के मौके पर पहुँचा तो देखा कि एक व्यक्ति सत्यम चतुर्वेदी पुत्र सुशील कुमार निवासी स्थायी पता – अटे रोड गोविन्दनगर थाना सिटी कोतवाली जनपद भिण्ड मध्य प्रदेश हाल पता – सेलीब्रिटी गार्डन टावर न0 F/102 थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ दूसरे व्यक्ति मोहम्मद तनजीम पुत्र स्व0 मोहम्मद मुस्तकीम निवासी 14/20 उदयगंज बरफखाना थाना हुसैनगंज लखनऊ उम्र करीब- 36 वर्ष को मारपीट एवं गाली गलौज कर रहा है। पुलिस बल द्वारा समझाने का काफी प्रयास किया गया परन्तु सत्यम चतुर्वेदी उपरोक्त लगातार उग्र होकर आमादा फौजदारी होने लगा मौके पर संज्ञेय अपराध को घटित होने से रोकने हेतु सिवाय गिरफ्तारी के अन्य कोई विकल्प न होने पर सत्यम चतुर्वेदी उपरोक्त को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 170/126/135 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 13.05.2025 को गिरफ्तार किया गया।

दूसरी सूचना प्राप्त होने पर उ0नि0 विनोद कुमार मय पुलिस टीम के देखाभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व मु0अ0सं0 -407/2025 धारा -115(2)/352/351(3)/324(4) बीएनएस में मामूर था कि ज्ञात हुआ कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त आशीष कुमार यादव पुत्र अमृतलाल यादव नि0 कमला कालोनी माढरमऊ कला थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ इस समय अमूल डेयरी के पास मौजूद है और वादिनी मुकदमा को गाली गलौज कर रहा है इस सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुँच कर आशीष कुमार यादव उपरोक्त से वादिनी मुकदमा अन्नू यादव को मारने पीटने का कारण पूछा तो आशीष कुमार यादव उपरोक्त और अधिक गाली गलौज करने लगा पुलिस बल द्वारा समझाने का प्रयास किया किन्तु वह नहीं माना। मौके पर शांति व्यवस्था बनाये रखने व संज्ञेय अपराध निवारण हेतु तत्काल आशीष कुमार यादव उपरोक्त उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस में आज दिनांक-14.05.2025 को गिरफ्तार किया गया यदि मौके पर गिरफ्तारी न की जाती तो आशीष कुमार यादव उपरोक्त द्वारा पुनः वादी मुकदमा के साथ मारपीट कर निश्चित ही संज्ञेय अपराध कारित किया जा सकता था। उपरोक्त का चालान अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस में किया गया।

02-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. सत्यम चतुर्वेदी पुत्र सुशील कुमार निवासी स्थायी पता अटे रोड गोविन्दनगर थाना सिटी कोतवाली जनपद भिण्ड मध्य प्रदेश हाल पता सेलीब्रिटी गार्डन टावर न0 F/102 थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ
2. आशीष कुमार यादव पुत्र अमृतलाल यादव नि0 कमला कालोनी माढरमऊ कला थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ

03-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना - सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1110
दिनांक-14.05.2025

जोन- पूर्वी/ थाना- विभूतिखण्ड

- **थाना विभूतिखण्ड पुलिस टीम द्वारा बाइक चोरी की घटना का किया गया सफल अनावरण।**
- **घटना कारित करने वाले 01 नफर शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **एक्सपीरियान बिल्डिंग के पास की गयी थी दो पहिया वाहन की चोरी**
- **अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 अदद मोटर साइकिल आर-15 बरामद ।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 24.04.2025 को थाना क्षेत्र विभूतिखण्ड में स्थित एक्सपीरियान बिल्डिंग के पास से अज्ञात चोर द्वारा दो पहिया वाहन यमाहा आर-15 चोरी करने विषयक वादी मुकदमा श्री देवेश यादव पुत्र मिश्रीलाल यादव निवासी इमिलिहा देवा रोड चिनहट के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना विभूतिखण्ड लखनऊ पर मु0अ0सं0 0150/2025 धारा 303(2) BNS 2023 पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्यवाही कर इलेक्ट्रानिक व भौतिक प्रयासों से घटना में संलिप्त अभियुक्त को पीएनबी हाउस के पीछे रेलवे लाइन के पास थाना क्षेत्र विभूतिखण्ड लखनऊ से गिरफ्तार किया गया तथा उसके कब्जे से चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल यमाहा आर-15 सं0 UP 32 KH 5879 बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। पकड़े गये अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

02-अपराध का उद्देशय:-

अभियुक्त द्वारा अपने सह अभियुक्त के साथ मिलकर उक्त घटना कारित की गयी है। जिसे हिरासत पुलिस में लेकर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1. दीपू यादव पुत्र सियाराम निवासी गांव भीखमपुर पोस्ट सिंहापुर थाना इटौंजा जिला लखनऊ उम्र 31 वर्ष

04-बरामदगी का विवरण:-

➢ 01 अदद मोटरसाइकिल नम्बर यूपी-32 KH 5879 चेसिस नम्बर ME1RG521AJ0050019 व इंजन नम्बर G3K5E0053952 बारंग डीप पर्पल ब्लू कलर

05- अनावरित अभियोग का विवरण:-

1. मु0अ0सं0 0150/2025 धारा 303(2)/317(2) BNS थाना विभूतिखण्ड लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1113
दिनांक- 14.05.2025

जोन-पूर्वी/ थाना-विकासनगर

- **थाना विकासनगर पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता।**
- **थाना क्षेत्र में कारोबारी के साथ हुई डकैती की घटना में वाँछित अभियुक्त सम्राट दीक्षित उर्फ अर्जुन पंडित को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियोग उपरोक्त में अब तक 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 28.03.2025 को थाना विकासनगर क्षेत्र में कारोबारी के साथ हुई डकैती की घटना में वाँछित अभियुक्त सम्राट दीक्षित उर्फ अर्जुन पंडित को मोहनलालगंज से गोसाईगंज रोड हबुआ पुल के पास से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्त सम्राट दीक्षित उर्फ अर्जुन पंडित ने पूछताछ पर बताया कि घटना में शामिल सहअभियुक्त प्रेम बहादुर सिंह वर्ष-2023 में पंकज अग्रवाल के यहां ड्राइवर का काम करता था, कुछ दिन काम करके छोड़ दिया था। उसके बाद पिछले 01 महीने से फिर पंकज अग्रवाल के यहां ड्राइवरी का काम करने लगा था। कई बार पंकज अग्रवाल अपने साथ कलेक्शन के काफी रूपये लेकर आते जाते थे, जिसे यह देखता रहता था। इसके अलावा इनका मुनीम अमित सैनी अलग अलग स्टोर व अन्य स्थानों से रूपये अपनी बाइक से इकठ्ठा करता था, उसके बारे में भी इसको जानकारी थी। उस पैसे को लूटने के लिए प्रेमबहादुर सिंह उर्फ पी0बी0 ने अपने चचेरे भाई सोनेन्द्र सिंह के साथ प्लान बनाया।

सोनेन्द्र सिंह ने कहा कि यह काम एक आदमी का नहीं है, इसके लिए 4-5 आदमियों की जरूरत पडेगी। इसके बाद सोनेन्द्र ने गौरव मिश्रा, वैभव सिंह, सुशील मिश्रा उर्फ रज्जन, विपिन यादव, मोहित यादव, सतीश सिंह, अनुज मौर्या को तैयार किया। प्रेम बहादुर सिंह द्वारा अपने अन्य सहअभियुक्तगण को रूपये लाने वाली गाड़ी नम्बर व आदमी के बारे में बताया। अभियुक्त सम्राट दीक्षित उर्फ अर्जुन पंडित के फार्म हाउस पर अन्य अभियुक्तगण रूके, घटना कारित करने की योजना और षड़यंत्र बनाया गया और तय हुआ कि लूट के पैसों को बराबर हिस्सों में बांटा जायेगा। अभियुक्त सम्राट दीक्षित अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया गया था। अभियुक्त सम्राट दीक्षित उर्फ अर्जुन पंडित उपरोक्त का व्यापक आपराधिक इतिहास है और पूर्व में यह लगभग 04 वर्ष जेल में बन्द था।

अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त सम्राट दीक्षित उर्फ अर्जुन पंडित उपरोक्त को न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड स्वीकृत करते हुए जिला कारागार लखनऊ निरूद्ध किया गया।